Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर

कृष्ण कुमार वगै बनाम गायत्री वगै.

किस्म मुकदमा :– 212 आर.टी.एक्ट

नं. मुकदमा...74.... /2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4.05.2023	आज यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी जरिये अधिवक्ता श्री नेतराम सियाग द्वारा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिश्ते की होकर प्रस्तुत होने पर अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें। प्रकरण में वाद–पत्र पूर्व में दर्ज हैं। अप्रार्थीगण को रजि. एडी. जरिये नोटिस तलब किया जावे। इसके पश्चात् वकील प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र पर इकतरफा बहस सुना गया। वकील प्रार्थी ने बहस द्वारा अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया । पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रस्तुत रिकार्ड व प्रार्थीगण के शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता हैं। अतः प्रकरण में आरजीतौर पर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण मौजा रोही साबनिया के खसरा नम्बर 614 तादादी 3.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 612 तादादी 5.75 हैक्टेयर भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल नही करें एवं प्रार्थीगण की कब्जा काश्त की भूमि में दखलदांजी नही करें । मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनायें रखें। प्रार्थीगण सीपीसी आदेश 39 नियम 3 की पालना करें। यह आदेश DILRMP एवं भारतमाला प्रोजेक्ट से सम्बन्धित भूमि, सरकारी रास्ता एवं रोडा एक्ट से प्रभावी भूमि के सम्बन्ध में प्रभावी नहीं होंगे। इसमें यदि अप्रार्थीगण को कोई उज्र या ऐतराज हो तो नियत पेशी को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करें। तहरीर अलग से जारी होकर पत्रावली आयन्दा वास्ते तलबी दिनांक 20.06.2023 को पेश हो। [signature]	
20/6/23	पत्रावली पेश हुई। पी.अ. अवकाश, अन्य कार्यों में व्यस्त आयन्दा पत्रावली दिनांक 28/7/23 को पेश हो। [signature] रीडर	[fingerprint] कृ.कि. रामप्यारी
28/7/23	पत्रावली पेश हुई। पी.अ. अवकाश, अन्य कार्यों में व्यस्त आयन्दा पत्रावली दिनांक 4/9/23 को पेश हो। [signature] रीडर	
4/9/23	पत्रावली पेश हुई। पी.अ. अवकाश, अन्य कार्यों में व्यस्त आयन्दा पत्रावली दिनांक 11/10/23 को पेश हो। [signature] रीडर	
11/10/23	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण वकील उपस्थित प्रार्थीगण की तरफ से अधिवक्ता नेतराम सियाग द्वारा की गई, जरिये प्रार्थना-पत्र, प्रार्थना पत्र RTA 212 इसी स्टेज पर जरिये विड्राल खारिज हेतु निवेदन किया गया। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र 212 RTA इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी लूणकरणसर	[illegible] हेतु [illegible]

उपखण्ड अधिकारी लूणकरणसर